

कार्यालय आयुक्त
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

ई-मेल : dme12001@yahoo.com

वेबसाइट: www.medicaleducation.mp.gov.in

दिनांक— 24.07.2025

// महत्वपूर्ण सूचना मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना //

शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा तथा निजी चिकित्सा
महाविद्यालयों में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना शैक्षणिक सत्र
2025-26

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के पात्र अभ्यर्थी काउंसिलिंग हेतु एमपी ऑनलाईन पोर्टल तथा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 5-6/2017/42 (1) दिनांक 14/06/2025 एवं एफ 5-6/2017/42 (1) दिनांक 05/06/2018 को भलीभाँती पढ़कर समझ लेवे एवं तदोपरान्त ही योजना का लाभ लेने अथवा न लेने का निर्णय लेवें। निजी चिकित्सा महाविद्यालय में पात्र अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय मेधावी योजना का लाभ लिये जाने का विकल्प चुनने पर प्रपत्र-12 अनुसार रू0 500/- के नोटराईज्ड शपथ पत्र आवंटित महाविद्यालय में जमा कराना होगा।

संचालक चिकित्सा शिक्षा

मध्य प्रदेश

24/07/25

प्रपत्र-12

निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना
का लाभ लेने वाले पात्र अभ्यर्थियों द्वारा निष्पादित किया जायेगा
(स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय रु. 500/-के नोटराईज्ड स्टाम्प पेपर पर निष्पादित)

यह कि मैं,...../पुत्र/पुत्री श्री (पिता).....
स्थान.....,तहसील....., जिला..... (मध्यप्रदेश) जो
प्रवेश परीक्षा नीट यू0जी0 2025 के परिणाम के आधार पर (एम0बी0बी0एस0) पाठ्यक्रम
में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी हूँ एवं यह कथन करता/करती हूँ :-

1. यह कि मैंने मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग मंत्रालय के आदेश
क्रमांक एफ 5-6/2017/42 (1) दिनांक 14/06/2025 एवं एफ 5-6/2017/42
(1) दिनांक 05/06/2018 को भलीभाँती पढ़कर समझ लिया है।
2. यह कि मैं उक्त योजना का लाभ लेना चाहता/चाहती हूँ।

शपथग्रहिता

यह कि मैं शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा शपथ पत्र में दी
गई जानकारी सही है। शपथपत्र आज दिनांक स्थान को
सत्यापित कराया गया।

शपथग्रहिता

गवाहान:-

1. नाम.....

पता.....

2. नाम.....

पता.....